

प्रेषक,

शंभू शरण, भाष्ट्रोल्से०
सरकार के अपर सचिव।

रोवा गे,

महालेखाकार (लेठे एवं हॉ),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा— सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 17/01/2025

विषय— खगड़िया जिलान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पसराहा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लिं०, पटना से प्राप्त मॉडल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल ₹० 2,00,54,400/- (रूपये दो करोड़ चौवन हजार चार सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खगड़िया जिलान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पसराहा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लिं०, पटना से प्राप्त मॉडल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल ₹० 2,00,54,400/- (रूपये दो करोड़ चौवन हजार चार सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2-- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम लिं०, पटना (BMSICI.) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते राय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा।-

- (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संपुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि साबित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।
- (v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।
- (vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तदक्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राककलित राशि की पुंजीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा रोवाये एवं आधारभूत रारवना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

3— यह कार्य मांग संख्या—20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक रवारथ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपगुख्य शीर्ष—02—ग्रामीण रवारथ्य रोवाए, लघु शीर्ष—103—प्राथगिक रवारथ्य केन्द्र, उपशीर्ष—0102 रवारथ्य केन्द्रों का निर्माण—सात निश्चय—2, विपत्र कोड—20-4210021030102, विषय शीर्ष—(53-01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियन्त्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वारथ्य रोवाए, बिहार, पटना होगे।

5— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा रोवाए एवं आधारभूत सरचना निगम लिंग, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0-PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6— बिहार चिकित्सा रोवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना पी0एल0 एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी0एल0 खाते गे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रगाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में रासगार कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7— राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 वि0(2), दिनांक—17 04 98, 8543 वि0(2), दिनांक—27 11 2007, 3758 /वि0, दिनांक—31.05.2027 एवं 12888 /वि0, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

9— प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक—07.01.2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक—336(7), दिनांक—09 01 2025 के क्रम संख्या—02 में स्वीकृति प्राप्त है।


10— प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर गुख्य राचिव, स्वारथ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11— प्रारूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—7/बजट—46—33/2024—25 के पृष्ठ—08/टिंग में प्राप्त है।

12— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है।

13— संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

शापाक

३६४ (७) / रवा०, पटना, दिनांक—१८/०१/२०२५

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत रांचना निगम लिं०, रवारथ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, खगड़िया/क्षेत्रीय अपर निदेशक, रवारथ्य सेवाएँ, गुंगेर प्रमंडल, गुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक—राह—गुरुथ्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ क्रेषित ।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, रवारथ्य के आपा सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वारथ्य के प्रधान आपा सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वारथ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव—सह—निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, रवारथ्य विभाग/लेखा शाखा, रवारथ्य विभाग/प्रशास्त्रा पदाधिकारी, प्रशास्त्रा—७, स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, स्वारथ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव
मा